भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2021
बुधवार, 11 मार्च, 2020/21 फाल्गुन, 1941 (शक)

रोजगार अवसरों का सृजन

2021. श्री वाइकोः
श्री एम॰ शनमुगमः
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देश में रोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए की गई सिलसिलेवार कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कितने रोजगार अवसरों का सृजन किया गया और बेरोजगारी के आंकड़ों में कितने युवा और जुड़ गए; और
(ग) क्या बेरोजगारी की दर वर्ष-दर-वर्ष बढ रही है और यदि हां, तो बेरोजगारी की स्थिति से राहत पाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जोकि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। देश में इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध सीमा तक सृजित रोजगार का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत देशभर में ऋण लेने वालों को 31.01.2020 की स्थिति के अनुसार, 22.53 करोड़ से अधिक ऋणों जोकि 11.20 लाख करोड़ रूपए है, प्रदान किए गए हैं।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करवाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगा। 17.01.2020 को 73.47 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जबकि 16.61 लाख अभ्यर्थियों को इस कार्यक्रम के तहत नियोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत, 15697 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से 137 ट्रेड्रों में दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिनमें कुल मिलाकर 34.30 लाख की सीट क्षमता है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा भी प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) तथा श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए रोजगार-बेरोजगारी संबंधी वार्षिक सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों (जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों शामिल हैं) का सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात नीचे दिया गया है:

कामगार जनसंख्या अनुपात (% में)	
सर्वेक्षण वर्ष	अखिल-भारत
2017-18 (पीएलएफएस)	46.8
श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षण	
2015-16	50.5

(टिप्पणी: पीएलएफएस एवं श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श का चयन अलग-अलग है।)

इसके अतिरिक्त, देश में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित बेरोजगारी दर नीचे दी गई है:

बेरोजगारी दर (% में)	
सर्वेक्षण	अखिल भारत
2017-18 (पीएलएफएस	6.0%
2015-16 (श्रम ब्यूरो)	3.7%

(टिप्पणी: पीएलएफएस एवं श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श का चयन अलग-अलग है।)

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 11.03.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2021 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

योजनाएं/वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (लाख में)	3.23	4.08	3.87	5.87	2.58 (31.12.2019 को)
एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव-दिवस (करोड़ में)	235.14	235.64	233.74	267.99	205.77 (28.01.2020 को)
डीडीयू-जीकेवाई के तहत नियोजित अभ्यर्थी (लाख में)	1.09	1.48	0.76	1.38	1.25 (जनवरी,2020 तक)
डीएवाई-एनयूएलएम के तहत (ईएसटीएंडपी) के अंतर्गत नियोजित प्रशिक्षित व्यक्ति (लाख में)	0.34	1.52	1.15	1.78	0.44 (27-1-2020 को)